176

नवीन पु. 1105/13

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 पुनरीक्षण -- R 1105 II/13

वीरसिंह पुत्र ठाकुरदास दांगी

निवासी–निवाड़ी तहसील–निवाड़ी जिला–टीकमगढ़ म.प्र.

विरूद्ध

सीताराम दांगी पुत्र बैजनाथ दांगी

निवासी–निवाड़ी तहसील–निवाड़ी जिला–टीकमगढ़ म.प्र.

19/3/13

**राजस्व निरीक्षक मण्डल तरीचरकला तहसील–निवाड़ी जिला–टीकमगढ़ द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक 19/अ–12/2011–12 में किये गये सीमांकन एवं पारित आदेश दिनांक 29–03–2012 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.**

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन तथा उसकी पुष्टि का विवादित आदेश अवैध तथा विचाराधिकार रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता की धारा–129 के अंतर्गत सीमांकन आवेदन पर कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार एवं अन्य समकक्ष राजस्व अधिकारी अधिकृत है राजस्व निरीक्षक संहिता की धारा–11 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी की परिभाषा में नही आते है.

3. यह कि, अनावेदक के आवेदन पर राजस्व निरीक्षक को प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ करने का विचाराधिकार नहीं था उनके द्वारा की गई कार्यवाही, सीमांकन एवं उनकी विवादित आदेश पत्रिका दिनांक 29–03–2012 शुन्य है तथा स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है.

4. यह कि, राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन करने के पूर्व सरहदी कृषक, आवेदक को उपस्थिति हेतु कोई सूचना पत्र नहीं दिया एवं सीमांकन की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा की गई आपत्ति पर कोई विचार किये बिना उसे निरस्त कर दिया सीमांकन के पूर्व सरहदी कृषको को व्यक्तिश सूचना दी जाना आवश्यक था तथा सीमांकन पर की गई आपत्ति को विवेक का प्रयोग कर कारण दर्शाते हुये उसका निराकरण करना चाहिये था.

5. यह कि, आवेदक ने सीमांकन की जानकारी होने पर आपत्ति की थी कि भूमि सर्वे क्रमांक 648 एवं 642 प्रार्थी के स्वत्व के है अनावेदक ने सर्वे क्रमांक 643 एवं 646 सीमांकन हेतु आवेदन दिया था सर्वे क्रमांक 643 को वह प्लॉट बनाकर विक्रय कर चुका है अब आवेदक की भूमि को हड़पना चाहता है.

... थी कि सीमांकन स्थायी चिन्हों से नहीं किया गया

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

**प्रकरण क्रमांक** – निग.-1105-दो/13 जिला- टीकमगढ़

<u>वीरसिंह विरूद्ध सीताराम दांगी</u>

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 11 -01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुर उपस्थित।<br>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल तरीचरकला, तहसील-निवाड़ी, जिला- टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 19/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 29-03-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।<br>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।<br>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।<br><br>(आर.के. जैन) 11.01.2019<br>सदस्य | |